



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 4, 1990/आश्विन 12, 1912
No. 430] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 1990/ASHVINA 12, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 4 अक्टूबर, 1990

आदेश

मा.का.नि. 821 (अ):—केन्द्रीय सरकार, स्वायत्त औद्योगिक और मत्त. प्रसायी पदार्थ प्रवेश व्यापार
नियंत्रण अधिनियम, 1988 (1988 का 16) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उपर सचिव श्री एम.एम. अटनागर को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए
विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा.स. 820/2/90-नि.प्र.व्या. स्वा.]
ग.के. राय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi the 4th October, 1990

ORDER

G.S.R. 821(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri M. M. Bhatnagar, Additional Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[F. No. 820/2/90-PITNDPS]

A. K. ROY, Under Secy.